राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. (SAPS-MP)

(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)

State Agency for Public Service, M.P.

(A Regd. Agency of Govt. of M.P. Under Deptt. of Public Service Management)

क्रमांक।५२७/रा.लो.से.अ./ 2018 भोपाल दिनांक ।5/2/2018

प्रति,

प्रमुख सचिव
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः- लोक सेवा प्रदान की गारंटी कानून 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं की प्रदाय प्रक्रिया एवं सेवाओं की मॉनिटरिंग के सबंध में ।

---oo--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पर्यावरण विभाग की 20 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। उक्त सेवाओं में से विभिन्न सेवाएँ वर्तमान में आपके विभागीय पोर्टल से ऑनलाइन प्रदाय की जा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सेवाओं के अधिसूचित होने पर उक्त सेवाओं के प्रदाय व्यवस्था में अधिनियम वर्णित प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। जिससे सेवाएँ पारदर्शिता के साथ नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सरलतापूर्वक प्राप्त हो सकें,साथ ही इनकी मॉनिटरिंग भी हो सके।

अतः अनुरोध है कि लोक सेवा गारंटी कानून के वैधानिक प्रावधानों को द्रष्टिगत रखते हुए कृपया विभागीय अधिकारियों को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें :-

1. विभागीय पोर्टल से दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं के सॉफ्टवेयर में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 का पालन सुनिश्चित हो।
2. ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन करने की कार्यवाही की जाए।
3. सेवाओं की मॉनिटरिंग हेतु सी.एम. डैशबोर्ड पर विकसित लोक सेवा गारंटी के डैशबोर्ड से विभागीय सेवाओं को इन्टीग्रेट किया जाए।

उपरोक्त कार्यवाही करने हेतु राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेग।

(हरिरंजन राव)
प्रमुख सचिव, लोसेप्र विभाग एवं
महानिदेशक, राज्य लोक सेवा अभिकरण

क्रमांक।५२८/रा.लो.से.अ./ 2018 भोपाल दिनांक ।5/2/2018

1.विभागाध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी सबंधित विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यपालन संचालक
राज्य लोक सेवा अभिकरण

letter head GC

लो.से.गा. अधिनियम 2010 के अंतर्गत पर्यावरण विभाग अंतर्गत म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की अधिसूचित सेवाओं की सूची

क्र	विभाग	अधिसूचित सेवा का नाम
1	पर्यावरण विभाग	17.1- अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी
2		17.2- अंगीकृत विकास योजनाओं में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी
3		17.3- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मलित।
4		17.4- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मलित।
5		17.5- प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम मे किसी निज भूमि के सम्मलित होने की जानकारी।
6		17.6- प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम मे सम्मलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति / आपत्ति प्रदाय करना।
7		17.7- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त व्रहद/माध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति.
8		17.8 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त व्रहद/माध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति.
9		17.9- अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 के नियम-9 में लघु श्रेणी उद्योगों के विनिर्माणकर्ता और पुन: चक्रणकर्ता का पंजीकरण
[illegible]		17.10- अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 के नियम-9 में व्रहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के विनिर्माणकर्ता और पुन: चक्रणकर्ता का पंजीकरण
11		17.11- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डआर गिट्टी एवं रेत खदान को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत सम् । यम ति (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों5 की रिसाईकलिं ग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)
12		17.12- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डआर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत सम् । ियमति (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)
13		17.13- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डीर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु परिसंकटमय अपशिष्ठ नियम 2016 के नियम के अन्तिर्गत प्राधिकार (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीनकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)
14		17.14- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत समायति
15		17.15- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्सि की सभी खदानों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत सम्म(ति
16		17.16- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्सि की सभी खदानों को परिसंकटमय अपशिष्ठन नियम 2016 के अन्तमर्गत प्राधिकार
17		17.17- 200 बिस्तीर या उससे अधिक क्ष् । मता के चिकित्सा् संस्था न तथा चिकित्सतकीय अपशिष्ठ के निपटान व्यिवस्था ी के संचालकों को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम 2016 के अन्ततर्गत प्राधिकार
18		17.18- 200 बिस्तनर से कम क्ष् ।कमता के चिकित्सा संस्थारन पेथोलॉजी, ब्लगड बैंक, पशु चिकित्सालय क्लीमनिक एवं अन्यत चिकित्साक संस्था नों को जीव चिकित्सा अपशिष्ठस नियम 2016 के अन्ततर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण.
19		17.19- नगरीय ठोस अपशिष्ठा नियम 2016 के अन्तोर्गत नगर पालिक निगम एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठर के अपवहन व्यीवस्था् के संचालकों को प्राधिकार
[illegible]		17.20- नगरीय ठोस अपशिष्ठा नियम 2016 के अन्तोर्गत नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायत को प्राधिकार एवं नवीनीकरण

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक 2668 / 2406 /2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रति,

1. समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर) लघु श्रेणी उद्योगों हेतु।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा कं 17.11 प्रदेश में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत सम्मति दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - **सेवा का उद्देश्य** : इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत सम्मति दिया जाना है।

2 - **पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा** : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.11	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत् सम्मति (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)	समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर)	45 कार्य दिवस

3 - <u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u> : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा । प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 - <u>पात्रता की आवश्यक शर्ते</u> : आवेदकों द्वारा राज्य के अन्दर उद्योग/गतिविधि के संचालन हेतु बोर्ड की सम्मति के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर जल सम्मति पत्र जारी किया जायेगा।

5 - <u>आवश्यक दस्तावेजः</u> ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- डीआईसी/एसआईए/ डीजीटीडी/मायनिंग लीज/कॉनसेप्चुअल प्लान (इन्फ्रास्ट्रक्चर/बिल्डिंग परियोजना होने की स्थिति में) इत्यादि।
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट/इण्डस्ट्री साईट
- ले आउट प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट/उद्योग
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (रॉ मटेरियल/मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की पूर्ण जानकारी सहित)
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट/एनुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर स्टेंडिंग
- एन्वायरमेंटल स्टेटमेंट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के पालन की स्थिति (लागू होने पर)
- एफ्लूयेंट/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
    - ईटीपी/एसटीपी के संबंध में तकनीकी रिपोर्ट
    - ईटीपी/एसटीपी की ड्राइंग
- केन्द्रीय भूमि जी प्राधिकरण का अनुमति पत्र (लागू होने पर)
- उपचारित जल गुणवत्ता रिपोर्ट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- जल सम्मति पत्र में उल्लेखित शर्तो पर बिन्दुवार प्रतिवेदन (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- जल उपकर पत्रक (लागू होने पर)

6- <u>पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-</u>

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है ।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।

4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक-पृथक पंजीयों के संधारण की आवश्यक नहीं होगी ।
5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 – **आवेदन निराकरण की प्रकिया** –

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।
3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।
4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक /इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के सम्मति प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड सम्मति आदेश पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रकिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. <u>सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना-</u>

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित सम्मति पत्र अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र-

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

9- <u>शुल्क :-</u>

1. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई-पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।
2. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है, संबंधित अंश निम्नानुसार है :-

सारणी एक

क	कुल विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड़ या उससे अधिक	कुल लागत का 0.02 प्रतिशत
2	रूपये 10 करोड या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम	90,000
3	रूपये 3 करोड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम	60,000
4	रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम	15,000
5	रूपये 50 लाख से कम	1,500

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण -

(1) स्थापना सम्मति जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी। पांच वर्ष पश्चात् **उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों** इत्यादि को, निर्माण/स्थापना कार्य पूर्ण न करने की दशा में पुनः नई स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी व शुल्क भी देय होगा ।

(2) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णांक में की जायेगी। अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200/- देय होगा।

(3) उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा 'बिना मूल्य ह्रास' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउट डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा।

सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट) की कुल लागत के 0.02 प्रतिशत के आधार पर देय होगा, जो न्यनूतम रूपये 25000/- से कम नहीं होगा ।

(4) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

सारणी दो

खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 10,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण :-

(1) स्थापना सम्मति, जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी, पांच वर्ष पश्चात् संस्थान को कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में पुनः सशुल्क स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी ।

(2) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णांक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा। उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान को 2 हेक्टैयर का शुल्क देय होगा ।

(3) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काट्कर शेष राशि वापस योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि खदान द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

10- <u>अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु</u> :

1 आवेदन निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 अनुमति/सम्मति/निरस्तीकरण पत्र जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय :

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् सम्मति हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध जल अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण** : आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्मति पत्र संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

11. <u>अपील</u> :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

12. <u>अपील निम्नानुसार की जा सकेगी :</u>

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669/2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

2668
क्रमांक /2606/ /2018/32-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रति,

1. समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर) लघु श्रेणी उद्योगों हेतु।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा क्रं 17.12 प्रदेश में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सम्मति दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - **सेवा का उद्देश्य** : इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सम्मति दिया जाना है।

2 - **पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा** : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.12	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् सम्मति (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)	समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर)	45 कार्य दिवस

3 - <u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u> : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 - **<u>पात्रता की आवश्यक शर्ते</u>** : आवेदकों द्वारा राज्य के अन्दर उद्योग/गतिविधि के संचालन हेतु बोर्ड की सम्मति के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर वायु सम्मति पत्र जारी किया जायेगा।

5 - **<u>आवश्यक दस्तावेजः</u>** ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- डीआईसी/एसआईए/ डीजीटीडी/मायनिंग लीज/कॉनसेप्चुअल प्लान (इन्फ्रास्ट्रक्चर/ बिल्डिंग परियोजना होने की स्थिति में) इत्यादि।
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट/इण्डस्ट्री साईट
- ले आउट प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट/उद्योग
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (रॉ मटेरियल/मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की पूर्ण जानकारी सहित)
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट/एनुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर स्टेंडिंग
- एन्वायरमेंट्ल स्टेटमेंट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के पालन की स्थिति (लागू होने पर)
- वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के तकनीकी विवरण
- मॉनीटरिंग व्यवस्था संबंधी सचित्र डायग्राम (पोर्ट हाल, प्लेटफार्म एवं स्पायरल लेडर बावत्)
- उत्सर्जन विश्लेषण रिपोर्ट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- वायु सम्मति पत्र में उल्लेखित शर्तो पर बिन्दुवार प्रतिवेदन (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)

6- **<u>पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-</u>**

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक-पृथक पंजीयों के संधारण की आवश्यकता नहीं होगी।

5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 – आवेदन निराकरण की प्रकिया –

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।
3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।
4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक /इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के सम्मति प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड सम्मति आदेश पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रकिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. **सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना** –

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित सम्मति पत्र अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र–

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

9– **शुल्क :–**

1. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई–पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।
2. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है जो निम्नानुसार है :–

सारणी एक

क	कुल विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड़ या उससे अधिक	कुल लागत का 0.02 प्रतिशत
2	रूपये 10 करोड या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम	90,000
3	रूपये 3 करोड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम	60,000
4	रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम	15,000
5	रूपये 50 लाख से कम	1,500

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक–पृथक शुल्क देय होगा।

स्पष्टीकरण –

(1) स्थापना सम्मति जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी। पांच वर्ष पश्चात् **उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों इत्यादि** को, निर्माण/स्थापना कार्य पूर्ण न करने की दशा में पुनः नई स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी व शुल्क भी देय होगा ।

(2) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णांक में की जायेगी। अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200/– देय होगा।

(3) उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा 'बिना मूल्य ह्रास' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउट डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा।

सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट) की कुल लागत के 0.02 प्रतिशत के आधार पर देय होगा, जो न्यनूतम रूपये 25000/- से कम नहीं होगा ।

(4) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

सारणी दो

खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 10,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण :-

(1) स्थापना सम्मति, जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी, पांच वर्ष पश्चात् संस्थान को कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में पुनः सशुल्क स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी ।

(2) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णांक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा। उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान को 2 हेक्टैयर का शुल्क देय होगा ।

(3) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापस योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि खदान द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

10- <u>अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु</u> :

1 आवेदक निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 अनुमति/सम्मति/निरस्तीकरण पत्र जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय :

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख

आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् सम्मति हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण** : आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्मति पत्र संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

12. अपील :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-
आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

13. अपील निम्नानुसार की जा सकेगी :

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669/2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक 2668/2406 /2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रति,

1. समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर) लघु श्रेणी उद्योगों हेतु।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा क्रं 17.13 प्रदेश में परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - **सेवा का उद्‌देश्य** : इस सेवा का उद्‌देश्य मध्य प्रदेश में परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार दिया जाना है।

2 - **पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा** : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.13	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को परिसंकटमय अपशिष्ठ नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकार (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्ठों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर	समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर)	45 कार्य दिवस

3 - **आवेदन पत्र का प्रारूप** : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त

होगा। प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 – **पात्रता की आवश्यक शर्ते** : ऐसे आवेदक जो राज्य के अन्दर उद्योग/गतिविधि के संचालन हेतु बोर्ड के प्राधिकार के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

5 – **आवश्यक दस्तावेजः** ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :–

- डीआईसी/एसआईए/ डीजीटीडी/मायनिंग लीज/कॉनरोप्चुअल प्लान (इन्फ्रास्ट्रक्चर/ बिल्डिंग परियोजना होने की स्थिति में) इत्यादि।
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट/इण्डस्ट्री साईट
- ले आउट प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट/उद्योग
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (रॉ मटेरियल/मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की पूर्ण जानकारी सहित)
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट/एन्नुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर स्टेंडिंग
- एन्वायरमेंट्ल स्टेटमेंट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के पालन की स्थिति (लागू होने पर)
- सुरक्षित भूमि भरण/इंसीनिरेटर का विवरण (लागू होने पर)
- उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशिष्टों की सूची
- प्राधिकार पत्र की शर्तों पर बिन्दुवार प्रतिवेदन (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- फार्म 4 एवं 13

6– **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक–पृथक पंजीयों के संधारण की आवश्यक नहीं होगी।
5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 – **आवेदन निराकरण की प्रक्रिया –**

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।
3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।
4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक /इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के प्राधिकार प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड प्राधिकार पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. <u>सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना-</u>

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्राधिकार अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र-

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना

दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

10- **शुल्क :-**

1. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई-पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।

2. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है जो निम्नानुसार है :-

नियम	पंजीयन / अनुमति/ प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रूपये)	
परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016	पंजीयन/ अनुमति/ प्राधिकार	**1 उत्पादक एवं संग्राहक हेतु**	
		रूपये दस करोड से अधिक कुल विनिधान वाले उद्योगों/संस्थानों/ इकाईयों एवं 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की खदानों हेतु प्राधिकार	रूपये 50,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 30,000/- (5 वर्ष हेतु)
		रूपये दस करोड तक कुल विनिधान वाले उद्योगों/संस्थानों/ इकाईयों एवं 5 हेक्टेयर तक क्षेत्र वाली खदानों हेतु प्राधिकार	रूपये 30,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 20,000/- (5 वर्ष हेतु)
		2. खतरनाक अपशिष्ठों का केवल परिवहन करने वाले परिवहनकर्ता संस्थानों हेतु प्राधिकार	रूपये 5,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 2,50,000/- (5 वर्ष हेतु)
		3. खतरनाक अपशिष्ठों का उपचार एवं अपवहन करने वाले संस्थानों हेतु प्राधिकार	रूपये 10,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 5,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
		4. मोबाईल टॉवर के साथ पृथक से संचालित डी.जी.सेट के प्राधिकार	रूपये 5,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 3,000/- (5 वर्ष हेतु)

11- **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :**

1 आवेदक निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 प्राधिकार जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय।

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य

कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् प्राधिकार हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण** : आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं प्राधिकार संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

12. **अपील** :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

13. **अपील निम्नानुसार की जा सकेगी** :

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669/2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक 2668/2406 /2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रति,

1. पदाभिहित अधिकारी अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा कं 17.14 प्रदेश में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत सम्मति दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - <u>सेवा का उद्देश्य</u> : इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत सम्मति दिया जाना है।

2 - <u>पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा</u> : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.14	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माइनर मिनरल्स की सभी खदानों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत् सम्मति	अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	45 कार्य दिवस

3 - <u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u> : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 - <u>पात्रता की आवश्यक शर्ते</u> : ऐसे आवेदक जो राज्य के अन्दर उद्योग/गतिविधि के संचालन हेतु बोर्ड की सम्मति के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर जल सम्मति पत्र जारी किया जायेगा।

5 - <u>आवश्यक दस्तावेजः</u> ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- डीआईसी/एसआईए/ डीजीटीडी/मायनिंग लीज/कॉनसेप्चुअल प्लान (इन्फ्रास्ट्रक्चर/ बिल्डिंग परियोजना होने की स्थिति में) इत्यादि।
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट/इण्डस्ट्री साईट
- ले आउट प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट/उद्योग
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (रॉ मटेरियल/मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की पूर्ण जानकारी सहित)
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट/एनुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर स्टेंडिंग
- एन्वायरमेंट्ल स्टेटमेंट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के पालन की स्थिति (लागू होने पर)
- एफ्लूयेंट/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
    - ईटीपी/एसटीपी के संबंध में तकनीकी रिपोर्ट
    - ईटीपी/एसटीपी की ड्राइंग
- केन्द्रीय भूमि जी प्राधिकरण का अनुमति पत्र (लागू होने पर)
- उपचारित जल गुणवत्ता रिपोर्ट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- जल सम्मति पत्र में उल्लेखित शर्तों पर बिन्दुवार प्रतिवेदन (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- जल उपकर पत्रक (लागू होने पर)

6- **<u>पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-</u>**

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है ।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक-पृथक पंजीयों के संधारण की आवश्यक नहीं होगी ।
5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 – आवेदन निराकरण की प्रक्रिया –

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।
3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।
4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगाा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक /इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के सम्मति प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड सम्मति आदेश पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना–

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित सम्मति पत्र अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र–

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

9– शुल्क :–

1. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई–पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।

2. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है जो निम्नानुसार है :–

सारणी एक

क	कुल विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड़ या उससे अधिक	कुल लागत का 0.02 प्रतिशत
2	रूपये 10 करोड या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम	90,000
3	रूपये 3 करोड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम	60,000
4	रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम	15,000
5	रूपये 50 लाख से कम	1,500

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक–पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण –

(1) स्थापना सम्मति जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी। पांच वर्ष पश्चात् **उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों इत्यादि** को, निर्माण/स्थापना कार्य पूर्ण न करने की दशा में पुनः नई स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी व शुल्क भी देय होगा ।

(2) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णांक में की जायेगी। अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200/– देय होगा।

(3) उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा 'बिना मूल्य ह्रास' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउट डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा।

सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट)

की कुल लागत के 0.02 प्रतिशत के आधार पर देय होगा, जो न्यूनतम रूपये 25000/- से कम नहीं होगा ।

(4) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

सारणी दो

खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 10,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण :-

(1) स्थापना सम्मति, जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी, पांच वर्ष पश्चात् संस्थान को कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में पुनः सशुल्क स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी ।

(2) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णांक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा। उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान को 2 हेक्टैयर का शुल्क देय होगा ।

(3) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापस योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि खदान द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

10- <u>अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु</u> :

1 आवेदक निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 अनुमति/सम्मति/निरस्तीकरण पत्र जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय :

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् सम्मति हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 42 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण** : आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्मति पत्र संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

12. **अपील** :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

13. अपील निम्नानुसार की जा सकेगी :

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय को होगी, जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669/2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक 2668 /2406 /2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रति,

1. पदाभिहित अधिकारी (अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा कं 17.15 प्रदेश में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सम्मति दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - **सेवा का उद्देश्य** : इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सम्मति दिया जाना है।

2 - **पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा** : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.15	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् सम्मति	अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	45 कार्य दिवस

3 - **आवेदन पत्र का प्रारूप** : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 – **पात्रता की आवश्यक शर्ते** : आवेदकों द्वारा राज्य के अन्दर उद्योग/गतिविधि के संचालन हेतु बोर्ड की सम्मति के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर वायु सम्मति पत्र जारी किया जायेगा।

5 – **आवश्यक दस्तावेजः** ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- डीआईसी/एसआईए/ डीजीटीडी/मायनिंग लीज/कॉनसेप्चुअल प्लान (इन्फ्रास्ट्रक्चर/बिल्डिंग परियोजना होने की स्थिति में) इत्यादि।
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट/इण्डस्ट्री साईट
- ले आउट प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट/उद्योग
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (रॉ मटेरियल/मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की पूर्ण जानकारी सहित)
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट/एनुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर स्टेंडिंग
- एन्वायरमेंटल स्टेटमेंट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के पालन की स्थिति (लागू होने पर)
- वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के तकनीकी विवरण
- मॉनीटरिंग व्यवस्था संबंधी सचित्र डायग्राम (पोर्ट हाल, प्लेटफार्म एवं स्पायरल लेडर बावत्)
- उत्सर्जन विश्लेषण रिपोर्ट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- वायु सम्मति पत्र में उल्लेखित शर्तों पर बिन्दुवार प्रतिवेदन (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)

6– **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक-पृथक पंजीयों के संधारण की आवश्यकता नहीं होगी।
5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 – **आवेदन निराकरण की प्रक्रिया** –

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।
3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।
4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगाा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक /इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के सम्मति प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड सम्मति आदेश पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रकिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. <u>सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना</u> -

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित सम्मति पत्र अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र-

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना

दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

9- **शुल्क :-**

4. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई-पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।

5. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है जो निम्नानुसार है :-

सारणी एक

क्र	कुल विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड़ या उससे अधिक	कुल लागत का 0.02 प्रतिशत
2	रूपये 10 करोड या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम	90,000
3	रूपये 3 करोड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम	60,000
4	रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम	15,000
5	रूपये 50 लाख से कम	1,500

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा।

स्पष्टीकरण -

(1) स्थापना सम्मति जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी। पांच वर्ष पश्चात् **उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों इत्यादि** को, निर्माण/स्थापना कार्य पूर्ण न करने की दशा में पुनः नई स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी व शुल्क भी देय होगा ।

(2) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णांक में की जायेगी। अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200/- देय होगा।

(3) उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा 'बिना मूल्य ह्रास' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउट डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा।

सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट) की कुल लागत के 0.02 प्रतिशत के आधार पर देय होगा, जो न्यनूतम रूपये 25000/- से कम नहीं होगा ।

(4) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

सारणी दो

खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 10,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

स्पष्टीकरण :-

(1) स्थापना सम्मति, जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी, पांच वर्ष पश्चात् संस्थान को कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में पुनः सशुल्क स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी ।

(2) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णांक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा। उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान को 2 हेक्टैयर का शुल्क देय होगा ।

(3) शुल्क वापसी : सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापस योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि खदान द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

10- <u>अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु</u> :

1 आवेदक निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 अनुमति/सम्मति/निरस्तीकरण पत्र जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय :

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् सम्मति हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण** : आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्मति पत्र संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

12. <u>अपील</u> :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-
आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

13. <u>अपील निम्नानुसार की जा सकेगी</u> :

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669/F.06/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक 2668 / 2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रति,

1. पदाभिहित अधिकारी (अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा कं 17.16 प्रदेश में परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - <u>सेवा का उद्देश्य</u> : इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार दिया जाना है।

2 - <u>पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा</u> : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.16	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को परिसंकटमय अपशिष्ठ नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकार	अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	45 कार्य दिवस

3 - <u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u> : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 – **पात्रता की आवश्यक शर्ते** : ऐसे आवेदक जो राज्य के अन्दर उद्योग/गतिविधि के संचालन हेतु बोर्ड के प्राधिकार के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

5 – **आवश्यक दस्तावेजः** ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- डीआईसी/एसआईए/ डीजीटीडी/मायनिंग लीज/कॉनसेप्चुअल प्लान (इन्फ्रास्ट्रक्चर/बिल्डिंग परियोजना होने की स्थिति में) इत्यादि।
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट/इण्डस्ट्री साइट
- ले आउट प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट/उद्योग
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (रॉ मटेरियल/मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की पूर्ण जानकारी सहित)
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट/एनुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर स्टेंडिंग
- एन्वायरमेंटल स्टेटमेंट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के पालन की स्थिति (लागू होने पर)
- सुरक्षित भूमि भरण/इंसीनिरेटर का विवरण (लागू होने पर)
- उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशिष्टों की सूची
- प्राधिकार पत्र की शर्तो पर बिन्दुवार प्रतिवेदन (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- फार्म 4 एवं 13

6– **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक-पृथक पंजियों के संधारण की आवश्यक नहीं होगी।
5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 – **आवेदन निराकरण की प्रक्रिया –**

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के

अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।

3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।
4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक /इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के प्राधिकार प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड प्राधिकार पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. **सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना-**

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर राहित प्राधिकार अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र-

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

9- **शुल्क :-**

1. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई-पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।
2. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है जो निम्नानुसार है :-

नियम	पंजीयन / अनुमति/ प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रूपये)	
परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016	पंजीयन/ अनुमति/ प्राधिकार	1 उत्पादक एवं संग्राहक हेतु	
		रूपये दस करोड से अधिक कुल विनिधान वाले उद्योगों/संस्थानों/ इकाईयों एवं 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की खदानों हेतु प्राधिकार	रूपये 50,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 30,000/- (5 वर्ष हेतु)
		रूपये दस करोड तक कुल विनिधान वाले उद्योगों/संस्थानों/ इकाईयों एवं 5 हेक्टेयर तक क्षेत्र वाली खदानों हेतु प्राधिकार	रूपये 30,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 20,000/- (5 वर्ष हेतु)
		2. खतरनाक अपशिष्ठों का केवल परिवहन करने वाले परिवहनकर्ता संस्थानों हेतु प्राधिकार	रूपये 5,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 2,50,000/- (5 वर्ष हेतु)
		3. खतरनाक अपशिष्ठों का उपचार एवं अपवहन करने वाले संस्थानों हेतु प्राधिकार	रूपये 10,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 5,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
		4. मोबाईल टॉवर के साथ पृथक से संचालित डी.जी.सेट के प्राधिकार	रूपये 5,000/- (5 वर्ष हेतु)
		उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 3,000/- (5 वर्ष हेतु)

11- **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :**

1 आवेदक निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 प्राधिकार जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय।

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् प्राधिकार हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण** : आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं प्राधिकार संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

12. **अपील** :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

13. **अपील निम्नानुसार की जा सकेगी** :

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669/2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18
प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक 2668/2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रति,

1. पदाभिहित अधिकारी (अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा क्रं 17.17 प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - <u>सेवा का उद्देश्य</u> : इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार दिया जाना है।

2 - <u>पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा</u> : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.17	200 बिस्तर या उससे अधिक क्षमता के चिकित्सा संस्थान तथा चिकित्सकीय अपशिष्ठ के निपटान व्यवस्था के संचालकों को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार	अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	45 कार्य दिवस

3 - <u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u> : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 - **पात्रता की आवश्यक शर्ते** :आवेदकों द्वारा राज्य के अन्दर उद्योग गतिविधि के संचालन हेतु बोर्ड की सम्मति के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

5 - **आवश्यक दस्तावेजः** ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- लोकल बॉडी का प्रमाण-पत्र ।
- CMHO का प्रमाण-पत्र
- CBWTF का प्रमाण-पत्र (सदस्यता)
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट साईट
- ले आउट प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट
- बायो मेडिकल वेस्ट संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट/एनुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरटेकिंग (समस्त मालिक एवं डायरेक्टर्स के नाम पते सहित)
- एन्वायरमेंट्ल स्टेटमेंट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के पालन की स्थिति (लागू होने पर)
- बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी प्राधिकार की प्रति (लागू होने पर)
- अन्य आवश्यकतानुसार

6- **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-**

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है ।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक-पृथक पंजियों के संधारण की आवश्यक नहीं होगी ।
5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 - **आवेदन निराकरण की प्रकिया -**

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।

3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।
4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक /इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के प्राधिकार प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड प्राधिकार पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रकिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. **सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना-**

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्राधिकार अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र-

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

9- **शुल्क :-**

1. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के

माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई-पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।

2. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	नियम	पंजीयन / अनुमति/ प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रूपये)	
1	जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016	प्राधिकार	क्लीनिक, पेथोलॉजी लेब, ब्लड बैंक एवं अन्य नॉन बेडेड चिकित्सकीय संस्थान	रूपये 5,000/- एक बार आजीवन
			चिकित्सालय चार शैया तक	रूपये 2,000/- प्रति वर्ष
			चार शैया से अधिक शैया होने पर	रूपये 200/- प्रति शैया प्रति वर्ष अतिरिक्त
			जीव चिकित्सा अपशिष्ठ अपवहन संस्थान	रूपये 25,000/- प्रति वर्ष
			जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन में संलग्न परिवहनकर्ता संस्थान	रूपये 10,000/- प्रति वर्ष

10- **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :**

1 आवेदक निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 प्राधिकार पत्र जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय।

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् प्राधिकार हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण :** आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं प्राधिकार संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

11. **अपील** :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

12. अपील निम्नानुसार की जा सकेगी :

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669/2466/2018/18-5
भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक 2668/2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-1

प्रति,

1. समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर) लघु श्रेणी उद्योगों हेतु।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा क्रं 17.18 प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - <u>सेवा का उद्देश्य</u> : इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण दिया जाना है।

2 - <u>पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा</u> : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.18	200 बिस्तर से कम क्षमता के चिकित्सा संस्थान, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, पशु चिकित्सालय क्लीनिक एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण	समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर)	45 कार्य दिवस

3 - <u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u> : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी

प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 **पात्रता की आवश्यक शर्ते** :आवेदकों द्वारा राज्य के अन्दर उद्योग/गतिविधि के संचालन हेतु प्राधिकार के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

5 – **आवश्यक दस्तावेजः** ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- लोकल बॉडी का प्रमाण-पत्र ।
- CMHO का प्रमाण-पत्र
- CBWTF का प्रमाण-पत्र (सदस्यता)
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट साईट
- ले आउट प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट
- बायो मेडिकल वेस्ट संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट/एनुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरटेकिंग (समस्त मालिक एवं डायरेक्टर्स के नाम पते सहित)
- एन्वायरमेंटल स्टेटमेंट (विस्तार/नवीनीकरण की स्थिति में)
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के पालन की स्थिति (लागू होने पर)
- बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी प्राधिकार की प्रति (लागू होने पर)
- अन्य आवश्यकतानुसार

6– **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है ।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक-पृथक पंजीयों के संधारण की आवश्यक नहीं होगी ।
5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 – **आवेदन निराकरण की प्रक्रिया** –

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के

अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।

3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।
4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगाा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के प्राधिकार प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड प्राधिकार पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. **<u>सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना</u>–**

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्राधिकार अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र–

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

9- **शुल्क :-**

3. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई-पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।

4. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	नियम	पंजीयन / अनुमति/ प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रूपये)	
1	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016	प्राधिकार	क्लीनिक, पेथोलॉजी लेब, ब्लड बैंक एवं अन्य नॉन बेडेड चिकित्सकीय संस्थान	रूपये 5,000/- एक बार आजीवन
			चिकित्सालय चार शैया तक	रूपये 2,000/- प्रति वर्ष
			चार शैया से अधिक शैया होने पर	रूपये 200/- प्रति शैया प्रति वर्ष अतिरिक्त
			जीव चिकित्सा अपशिष्ठ अपवहन संस्थान	रूपये 25,000/- प्रति वर्ष
			जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन में संलग्न परिवहनकर्ता संस्थान	रूपये 10,000/- प्रति वर्ष

10- **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :**

1 आवेदक निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 प्राधिकार पत्र जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय।

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् प्राधिकार हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण :** आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं प्राधिकार संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

11. <u>अपील</u> :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

12. <u>अपील निम्नानुसार की जा सकेगी</u> :

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669/2406/2018/18-5

भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक 2668 /2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रति,

1. पदाभिहित अधिकारी (अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा क्रं 17.19 प्रदेश में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - <u>सेवा का उद्देश्य</u> : इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार दिया जाना है।

2 - <u>पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा</u> : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.19	नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम, 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक निगम एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ के अपवहन व्यवस्था के संचालकों को प्राधिकार	अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	45 कार्य दिवस

3 - <u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u> : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 - <u>पात्रता की आवश्यक शर्ते</u> : आवेदकों द्वारा राज्य के अन्दर उद्योग/गतिविधि के संचालन हेतु बोर्ड के प्राधिकार के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

5 – **आवश्यक दस्तावेजः** ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- कॉनसेप्चुअल प्लान
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट साईट
- ले आउट प्लान ऑफ द डिस्पोजल साईट
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (वित्तीय व भौतिक कार्यों की पूर्ण जानकारी सहित)
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट एनुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर स्टेंडिंग ऑफ एक्ज्यूकीटिव एजेन्सी
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के पालन की स्थिति (लागू होने पर)

6– **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है ।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक–पृथक पंजीयों के संधारण की आवश्यक नहीं होगी ।
5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 – **आवेदन निराकरण की प्रकिया –**

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।
3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।

4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगाा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक /इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के प्राधिकार प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड प्राधिकार पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रकिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. **सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना-**

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्राधिकार अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र-

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

9- **शुल्क :-**

1. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई-पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।
2. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	नियम	पंजीयन / अनुमति/ प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रूपये)	
2	नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016	प्राधिकार	नगरीय ठोस अपशिष्ठ अपवहन प्रसंस्करण में संलग्न संस्थान का ऑपरेटर :-	
			प्रतिदिन 100 टन तक अपशिष्ठ निपटान व्यवस्था	रूपये 20,000/- प्रति वर्ष
			प्रतिदिन 100 से अधिक किन्तु 500 टन तक अपशिष्ठ निपटान	रूपये 50,000/- प्रतिवर्ष
			प्रतिदिन 500 टन से अधिक अपशिष्ठ निपटान	रूपये 1,00,000/- प्रतिवर्ष

10- **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :**

1 आवेदक निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 प्राधिकार पत्र जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय।

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् प्राधिकार हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण :** आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं प्राधिकार संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

11. अपील :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

12. अपील निम्नानुसार की जा सकेगी :

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669 /2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक 2668/2406/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रति,

1. समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर) लघु श्रेणी उद्योगों हेतु।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी, (सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)

विषय - पर्यावरण विभाग की सेवा क्रं 17.20 प्रदेश में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण दिये जाने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17 दिनांक 28/02/2017

---

1 - **सेवा का उद्देश्य** : इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण दिया जाना है।

2 - **पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा** : इस सेवा में, पदाभिहित अधिकारी, निर्धारित समय-सीमा की जानकारी निम्नानुसार है :-

सेवा क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवाप्रदाय की समय-सीमा
1	2	3	4
17.20	नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम, 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायत को प्राधिकार एवं नवीनीकरण	समस्त पदाभिहित अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, पीथमपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, एसईजेड पीथमपुर)	45 कार्य दिवस

3 - **आवेदन पत्र का प्रारूप** : इस सेवा के लिये आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट http://xgn.mp.nic.in/ind/XGN_Online_Regn.aspx पर रजिस्ट्रेशन नं. मोबाईल एवं ईमेल ऐड्रेस संबंधी आवश्यक जानकारी

प्रस्तुत करने पर उसे उसी समय ऑनलाईन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी पासवर्ड पर संबंधित संस्थान को ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

4 – **पात्रता की आवश्यक शर्ते** : आवेदकों द्वारा राज्य के अन्दर उद्योग/गतिविधि के संचालन हेतु बोर्ड के प्राधिकार के लिये पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

5 – **आवश्यक दस्तावेजः** ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- कॉनसेप्चुअल प्लान
- भूमि आवंटन पत्र/भूमि आवंटन एलओआई
- सेटेलाईट इमेजरी ऑफ प्रोजेक्ट साईट
- ले आउट प्लान ऑफ द डिस्पोजल साईट
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (वित्तीय व भौतिक कार्यो की पूर्ण जानकारी सहित)
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ हेतु सीए/सीएस सर्टिफिकेट/एनुअल रिपोर्ट/स्वप्रमाणन
- ग्रामसभा/लोकल बॉडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर स्टेंडिंग ऑफ एक्ज्यूकीटिव एजेन्सी
- पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के पालन की स्थिति (लागू होने पर)

6– **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

1. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन ऑन लाईन होगा जो सीधे पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त होगा, पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जो बोर्ड की वेबसाईट पर http://www.mppcb.nic.in/TP/welldefindconsent.pdf प्रदर्शित है ।
3. ऑन लाईन आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाईल नं. एवं ईमेल एड्रेस उल्लेखित होता है, जिस पर उसे एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
4. आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर एक आवेदक कमांक जनरेट होगा इसके उपरांत पृथक–पृथक पंजीयों के संधारण की आवश्यक नहीं होगी ।
5. आवेदन का निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

7 – **आवेदन निराकरण की प्रक्रिया** –

1. आवेदक को बोर्ड की वेबसाईट www.xgn.mp.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
2. इकाई द्वारा नर्मदा एक्सजीएन के यूजर नेम व पासवर्ड पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इकाई द्वारा NXGN पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र भरा जाकर एवं समस्त आवश्यक सहपत्र pdf

form में अपलोड किया जाकर आवेदन सबमिट किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित के पटल पर स्वतः प्रकट होगी।

3. इकाई से प्राप्त आवेदन का प्रोफाइल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 कार्य दिवस में अनुमोदित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक एवं पदाभिहित अधिकारी को एक्स जी एन द्वारा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी।
4. आवेदन का प्रोफाइल अनुमोदित होने पर इकाई को निर्धारित शुल्क अदायगी ऑनलाईन ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करने हेतु सूचना प्राप्त होगी।
5. अनुमोदित आवेदन, समस्त सहपत्रो एवं शुल्क अदायगी की रसीद स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सहित, इकाई द्वारा पोस्ट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा आवश्यक होने पर स्थल निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के 03 दिवस के अन्दर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन एनएक्सजीएन पर अंकित कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उद्योग द्वारा स्थल पर प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रस्तुतीकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराया जाएगा ।
8. तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदक /इकाई प्रतिनिधि से चाही गई जानकारी इकाई द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाना होगी।
9. उपरोक्त निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा उद्योग के प्राधिकार प्रकरण पर निर्णय की कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रकरण के निर्णय की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड प्राधिकार पत्र भी इकाई के रजिस्टर्ड आई डी पर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा ।
11. उपरोक्त समस्त प्रकिया पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा 45 कार्य दिवस होगी ।

8. <u>सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना पत्र जारी करना-</u>

सेवा प्रदाय करने के लिए प्राप्त आवेदन पर ऑन लाईन निर्णय लिये जाने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्राधिकार अथवा आवेदन निरस्तीकरण पत्र आवेदक की आईडी पर प्रदर्शित होगा जिस पर पृथक से स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

सेवा से इंकार संबंधी सूचना पत्र-

यदि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तब ऑन लाईन कारण दर्शाते हुए आवेदक को सेवा से इंकार संबंधी सूचना दी जायेगी, इस सूचना संबंधी पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

9- <u>शुल्क</u> :-

1. आवेदन की प्रोफाइल स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले वांछित शुल्क की जानकारी ऑनलाईन एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जावेगी, उक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ई-पेमेन्ट के माध्यम से करना होगा।

2. शुल्क की गणना संबंधी अधिसूचना दिनांक 26/06/2018 म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट http://www.mppcb.nic.in/Notif_Con_Fee-10.htm पर प्रदर्शित है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	नियम	पंजीयन / अनुमति/ प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रूपये)	
2	नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016	प्राधिकार	नगरीय ठोस अपशिष्ठ अपवहन प्रसंस्करण में संलग्न संस्थान का ऑपरेटर :-	
			प्रतिदिन 100 टन तक अपशिष्ठ निपटान व्यवस्था	रूपये 20,000/- प्रति वर्ष
			प्रतिदिन 100 से अधिक किन्तु 500 टन तक अपशिष्ठ निपटान	रूपये 50,000/- प्रतिवर्ष
			प्रतिदिन 500 टन से अधिक अपशिष्ठ निपटान	रूपये 1,00,000/- प्रतिवर्ष

10- <u>अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु</u> :

1 आवेदक निर्धारित पूर्ण दस्तावेज जानकारी व शुल्क जमा करने पर ही मान्य होगा।

2 प्राधिकार पत्र जारी होने पर आपत्ति पर निर्णय।

3 बोर्ड द्वारा पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य अथवा संलग्न अभिलेख आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटाकर पाये जाते हैं अथवा अन्य कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी पत्र निरस्त कर सकेगा।

4 जांच पश्चात् प्राधिकार हेतु प्रस्तुत तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

5 **अभिलेखों का संधारण** : आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं प्राधिकार संबंधी जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर में एकीकृत नस्ती में संधारित होगी।

11. <u>अपील</u> :- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

12. अपील निम्नानुसार की जा सकेगी :

प्रथम अपील : पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध उप सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे ।

द्वितीय अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के समक्ष की जायेगी।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक 2669/2466/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।
4. महाप्रबंधक।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल